निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 87**वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, देहरादून के माह अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सर्व श्री मनोज कुमार नेगी, भारत सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20-02-2018 से 24-02-2018 तक किया गया।

भाग-I

1- परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा दिनांक 02/05/2016 से 09/05/2016 तक सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा, एवं श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 12/2012 से 03/2016 तक के लेखाभिलेखों की जाँच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलापः-

सिविल खंडों के अंतर्गत विद्युत एवं यांत्रिक कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

देहारादून,उत्तरकाशी एवं टिहरी।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14					432.11	393.11		39.00
2014-15	--	--			963.15	955.33	--	7.82
2015-16	--	--			728.85	727.94	--	0.91
2016-17	--	--			640.11	654.99	14.88	--
2017-18 (माह 01/18 तक)	--	--			325.89	99.04	--	226.85

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	शून्य					
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18 (01/2018)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

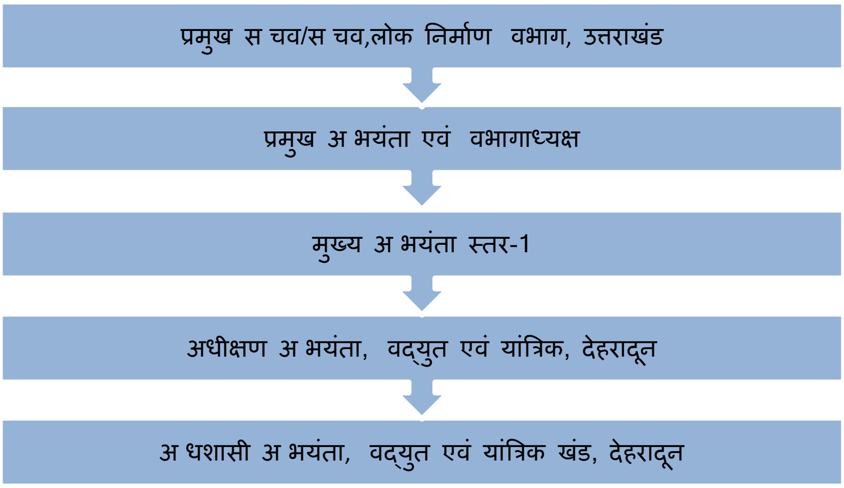

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, देहरादून के माह अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं जनवरी 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य संपत्ति विभाग देहरादून के अंतर्गत यमुना कॉलोनी स्थित ए ब्लॉक बहुमंजिले भवन के श्रेणी 4 के 20 संख्या आवासों के विद्युतीकरण योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 20-02-2017 को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह दिसंबर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 53168696

भाग द्वितीय ` 1101503

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	` शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` शून्य
(घ)	निक्षेप	` 63861876
(ङ)	भण्डार	` शून्य

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर 1: बिना आवश्यकता के रू0 37 लाख की मशीन का क्रय किया जाना।

अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, देहरादून के अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि वाहन/मशीन सं- UK07 GA 1024 (Tata Truck Pot Hole Repair) का क्रय जुलाई 2012 में रू0 37 लाख की धनराशि से किया गया था तथा मशीन क्रय करने का उद्देश्य सिविल खंडों में पोट होल रिपेयर कर सड़कों को गड्ढामुक्त करने का था।

अभिलेखों में आगे देखा गया कि मशीन वर्ष 2016-17 से कार्य के अभाव मे खण्ड के हर्रावाला स्टोर मे खड़ी थी और मशीन से विगत 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक मात्र 177 घंटे ही कार्य लिया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि मशीन को अन्य खंडों मे हस्तांतरित करने हेतु प्रयास किए गए हैं परंतु इस संबंध में खंड द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि जुलाई 2012 में मशीन क्रय किए जाने के पश्चात मात्र वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में ही मशीन द्वारा कार्य किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर –2: हायर चार्जेज की धनराशि रू0 584510 का लंबित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यॉत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के हायर चार्जेज संबंधित लेखा अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि खण्ड के द्वारा विभिन्न लोक निर्माण विभाग खण्डों को उपलब्ध कराए गए यंत्र/संयंत्रों के हायर चार्जेज माह 04/2016 से 02/2018 तक रू0 584510 धनराशि के लंबित पड़े थे। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम	हायर चार्जेज की देयक की धनराशि	प्राप्त हायर चार्जेज देयक की धनराशि	अवशेष हायर चार्जेज की धनराशि
1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला।	313240	--	313240
2	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़।	294180	209336	84844
3	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।	1180008.00	993582.00	186426
	योग	**1787428**	**1202918**	**584510**

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित खण्डों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण धनराशि लंबित पड़ी है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत दो वर्षों की हायर चार्जेज के रूप में रू0 584510 की धनराशि लंबित पड़ी हुई थी और अन्य कार्यों की बचत से अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: निक्षेप मद मे पड़ी रू0 (-) 410186.00 की धनराशियों का समायोजन न किया जाना।

अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, देहारादून के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2018) मे देखा गया कि निक्षेप मद के भाग-5 में निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 410186 कि धनराशियाँ ऋणात्मक के रूप में पड़ी हुई थी जिनका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2018) तक नहीं किया गया था।

आय कर	(-)5
लेबर सेस	(-)54
वैट	(-) 230871
विविध	(-)179256
कुल	(-) 410186.00

उपरोक्त के संदर्भ में पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशियों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि यह धनराशियाँ वर्ष 2012 से चली आ रहीं थी जिनका समायोजन नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्र0 संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब
1.	04/2016-17	--	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, देहरादून के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.के.भदूला	अधिशासी अभियंता
(ii)	श्री राकेश बहुगुणा	अधिशासी अभियंता
(iii)	श्री राम आसरे	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट

   (ii) श्री गोपाल पाठक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, द्वतीय तल, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2